बिहार सरकार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

राज्य में नाव दुर्घटना में बहुमूल्य जिंदगियाँ मौत की गोद में चली जा रही हैं। हम सब इसे रोक सकते हैं। अगर हम नाव दुर्घटना से बचने के उपाय कर लें।

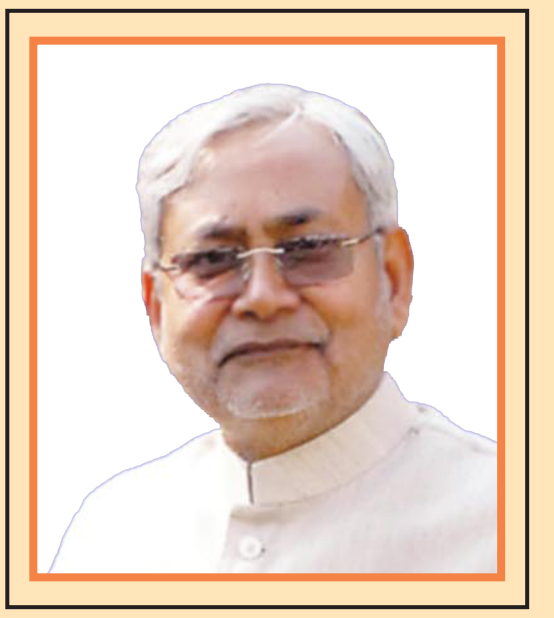

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री-सह-अध्यक्ष

नाव दुर्घटना से बचने के उपाय, नाव पर सवार होने से पहले

रुकिए! सोचिए!

नाव की सवारी करने वाले कृपया ध्यान दें :

- जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
- जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफ़ेद पट्टी का निशान लगा हो उसी नाव से यात्रा करें।
- किसी भी स्थिति में ओभर लोडेड नाव पर न बैठें।
- नाव चलने के पहले देख लें कि लदान क्षमता दर्शाने वाली सफ़ेद पट्टी का निशान डूबा तो नहीं है। अगर डूबा है तो तुरन्त उतर जायें।
- तेज हवा/ख़राब मौसम/आँधी-तूफान एवं बारिश में नाव की यात्रा न करें।
- छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
- जिस नाव पर जानवर ढ़ोये जा रहे हों तो उसमें यात्रा न करें।
- जर्जर/टूटी-फूटी नाव पर सवारी न करें। यह जानलेवा हो सकता है।
- जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाईफ जैकेट, लाईफ बॉय, के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों उसी नाव से यात्रा करें।
- नाव में यात्रा के दौरान शांत बैठें व उतरते-चढ़ते समय क्रम से ही नाविक के निर्देशानुसार उतरें व चढ़ें।
- सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा न करें। यह खतरनाक हो सकता है।
- नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दीबाजी न दिखाएँ और नाविक के ऊपर किसी तरह का दबाव न डालें।

नाविक एवं नाव मालिक कृपया ध्यान दें :

- तेज हवा/खराब मौसम/आँधी-तूफान एवं बारिश में नाव का संचालन न करें।
- जिस नाव पर 15 से 30 लोगों तक सवारी बैठती हो तो उस नाव पर 2 नाविक होना अनिवार्य हैं तथा 30 से ऊपर बैठाने वाली बड़ी नाव पर 3 नाविकों का होना अनिवार्य है।
- बीमार व्यक्तियों/गर्भवती महिलाओं को नाव पर चढ़ाने में प्राथमिकता दें।
- किसी यात्री को किसी भी दशा में नाव संचालन न करने दें।
- नाव पर किसी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकें।
- जिस नाव में जानवर ढोया जा रहा हो तो उस नाव में जानवर के मालिक के अलावा अन्य सवारी ना बैठाएँ।
- किसी भी तरह की नाव, चाहे उस पर सवारी ढोयी जा रही हो अथवा जानवर या सामान, सभी नाव का पंजीकरण कराना एवं उसपर लदान क्षमता का निशान लगाना अनिवार्य है।
- नाव पर ऐसा कोई भी सामान या खतरनाक सामग्री, साँप आदि नहीं ढोया जाएगा जिससे अन्य यात्रियों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो।
- नाव से पानी निकालने/उलीचने के लिए नाव में आवश्यक बर्तन रखें।
- रात में नाव का परिचालन न करें। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त कर विशेष रोशनी के साथ परिचालन करें।
- मानसून अवधि में सूर्योदय के पूर्व एवं 5.30 बजे शाम के बाद नाव का परिचालन न करें।

ज़िला प्रशासन कृपया ध्यान दें :

- बिना निबंधन के कोई भी नाव चाहे वह किसी भी उद्देश्य (व्यक्तिगत/संस्थागत) के लिए प्रयोग की जा रही हो, उसका परिचालन गैर कानूनी है। बग़ैर निबंधन के नाव का परिचालन नहीं होने दें।
- नावों में अलग से डीजल इंजन /मशीन बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है। इसे सुनिश्चित किया जाए।
- घाटों पर प्रशिक्षित तैराकों, गोता खोरों एवं नजदीकी पुलिस थाना एवं जिला प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों का फोन नंबर अवश्य प्रदर्शित कराया जाए।
- सुनिश्चित किया जाए कि नावों पर लदान क्षमता तथा सफेद पट्टी का निशान हर हाल में अंकित रहे ताकि यात्री समझ सकें कि नाव में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है।
- नाव संचालन के संबंध में बिहार बंगाल नौ-घाट अधिनियम, 1885 के अधीन आदर्श नियमावली, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- मॉनसून अवधि में सूर्योदय के पूर्व एवं 5.30 बजे शाम के बाद नाव के परिचालन पर रोक लगा दी जाए।

नाव की दुर्घटना रोकने के लिए हम सभी को साझे रूप से जिम्मेवारी लेनी होगी।
थोड़ा व्यवहार परिवर्तन एवं थोड़ी सजगता से नाव दुर्घटना में मौतों को रोका जा सकता है।

जनहित में जारी

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना- 800 001, Tel. : +91 (612) 2522032, Fax. : +91 (612) 2532311 visit us : www.bsdma.org; e-mail : info@bsdma.org

संपर्क करें : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार फोन नं0. 0612 - 2215600 राज्य आपदा संचालन केन्द्र, बिहार फोन नं0. 0612 - 2217301, 2217302, 2217303, 2217304, 2217305